नेशनल लोक अदालत, खण्डपीठ क्रमांक–03, बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारी–किरण कुमार जांगड़े)

क्लेम प्रकरण क्रमांक–157/2023
संस्थित दिनांक–05.09.2023

श्रीमती तीरथ बाई पति–स्व. सुद्धु यादव, उम्र–50 वर्ष,
निवासी ग्राम–मचौद, तह. व थाना–गुण्डरदेही,
जिला–बालोद (छ.ग.) --- **आवेदिका**

–// विरूद्ध// –

1. ईश्वर लाल सोनकर आ.–देश कुमार सोनकर, उम्र–28 वर्ष, निवासी–सोनकर पारा वार्ड नं. 07, तह. व थाना–गुण्डरदेही, (वाहन कार क्र–CG–10–EK–4500 का चालक व पंजीकृत स्वामी),
2. HDFC ऐग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा–शाखा कार्यालय चाँवला काम्पलेक्स देवेन्द्र नगर रोड साई नगर रायपुर, पोस्ट रायपुर, तह. व जिला–रायपुर(छ.ग.) (म्याद दिनांक–24.09.2022 से 23.09.2023) (वाहन कार क्र–CG–10–EK–4500 का बीमाकर्ता कंपनी),

--- **अनावेदकगण**

आवेदिका की ओर से.......................श्री अनिल जैन, अधिवक्ता।
अना.क्र.–02 की ओर से..................श्री चित्रांगद देशमुख, अधिवक्ता।

–//अधिनिर्णय//–
(आज दिनांक–13.09.2025 को नेशनल लोक अदालत में पारित)

(01) दिनांक–04.05.2023 को थाना–रनचिरई, जिला–बालोद(छ.ग.) के क्षेत्रान्तर्गत स्थान–ग्राम–पेण्ड्री चौक के पास

अनावेदक क्रमांक–01 के द्वारा अपने स्वामित्व के वाहन कार क्र–CG–10–EK–4500 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटरसायकल क्रमांक–CG–24–E–0620 को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिये जाने से उस मोटरसायकल में सवार नूतन कुमार यादव को आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु होने के संबंध में आवेदिका के द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध धारा–166 मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

(02) आवेदिका व अनावेदक क्रमांक–2 की ओर से उनके अधिवक्ता आज उपस्थित होकर उनके मध्य राजीनामा होना व्यक्त किये व संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित राजीनामा आवेदन पेश किये । आवेदिका व अनावेदक क्रमांक–2 के मध्य स्वेच्छा पूर्वक तथा बिना किसी दबाव के राशि 14,40,000/– रूपये (अक्षरी चौदह लाख चालीस हजार रूपये) में राजीनामा हो चुका है। बीमा कंपनी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अथॉरिटी लेटर पेश किया। यह राशि अनावेदक क्रमांक–2, आवेदिका को 60 दिन के भीतर अदा करेगा।

(03) अतः उभय पक्ष के मध्य, हो रहा, यह राजीनामा विधि अनुरूप प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि:–

1. अनावेदक क्रमांक–2, आवेदिका को राशि 14,40,000/– रूपये (अक्षरी चौदह लाख चालीस हजार रूपये) आज अधिनिर्णय दिनांक से 60 दिन के भीतर अदा करेगा । उक्त अवधि में अधिनिर्णय की यह राशि जमा नहीं होने पर दावा प्रस्तुति दिनांक–05.09.2023 से छः प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान करने हेतु, अनावेदक क्रमांक–2 दायित्वाधीन होगा।

(04) अधिनिर्णय की राशि दावाधिकरण के खाते में जमा होने पर आवेदिका को प्राप्त होने वाली राशि में से उसे 20 प्रतिशत राशि उसके

बचत खाता के माध्यम से नगद देय हो तथा शेष राशि उसके नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 5 वर्ष की अवधि के लिये सावधि खाते में जमा हो, जो परिपक्वता अवधि पूर्व उसे देय नहीं होगा। परिपक्वता अवधि पश्चात् राशि प्राप्त करने हेतु आवेदिका को पृथक से दावा अधिकरण के आदेश की आवश्यकता नहीं होगी ।

(05) अतः उभय पक्ष के मध्य हुआ उक्त राजीनामा विधि अनुरूप होने से स्वीकार किया जाकर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

सही/–
सदस्य/सुलहकर्ता
श्री सी. एल. डड़सेना, अधिवक्ता

सही/–
सदस्य/सुलहकर्ता
श्री के. के. यादव, अधिवक्ता

KIRAN KUMAR JANGADE
Digitally signed by KIRAN KUMAR JANGADE

(किरण कुमार जांगड़े)
पीठासीन अधिकारी
खण्डपीठ क्र.–03
बालोद, जिला–बालोद(छ.ग)